

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर-302015
(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdpl-ta-rj@nic.in)

क्रमांक:- एफ.3 (ख) (एस-730/88)/अलेसे-11/

दिनांक :- 15/12/2016

कार्यालय आदेश

विभागीय कार्यालय आदेश क्रमांक एफ. 3 (ख) / (एस-730/88) / अलेसे-11 / 392 दिनांक 31.05.2016 के द्वारा श्री संजय कुमार जैन, स.ले.अ.-II (लिंग नं. 5853) को रिश्वत लेने के प्रकरण में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा दिनांक 24.05.2016 को ट्रेप करने एवं न्यायिक अभिरक्षा में लेने के कारण दिनांक 24.05.2016 से निलंबित किया जाकर निलंबन काल में मुख्यालय कोषालय, टोंक किया गया था। श्री जैन का मुख्यालय कोषालय, टोंक के स्थान पर कोषालय (ग्रामीण), जयपुर किया जाता है।


(पंकज पोनी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.3 (ख) (एस-730/88)/अलेसे-11/1618

दिनांक :- 15/12/2016

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. पुलिस अधीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर ।
2. कोषाधिकारी (ग्रामीण), जयपुर ।
3. कोषाधिकारी, टोंक ।
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय ।
5. श्री संजय कुमार जैन, निलंबित स.ले.अ. ग्रेड-II, कार्यालय कोषालय, टोंक ।
6. कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने / पी.आई.एस इन्द्राज हेतु ।
7. निजी पत्रावली/पदस्थापन सीट/गोपनीय शाखा/जांच शाखा/रक्षित पत्रावली ।


अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक II)